

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

संख्या-3/विविध-01-69/2026 -

/स्वा0, पटना, दिनांक :

बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के निम्नांकित चिकित्सक को कार्यहित में अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार के साथ अपने ही वेतनमान में बिहार कोषागार संहिता-2011 के नियम-84 के तहत अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित कार्यालय का प्रभार (वित्तीय शक्ति सहित) दिया जाता है:-

क्र0 सं0	चिकित्सक का नाम एवं पदस्थापन स्थल	प्रभार देने संबंधित संस्थान/पद का नाम
01	02	03
1	डा0 विपिन कुमार गुप्ता, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, मधेपुरा	असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा

- उक्त से संबंधित पूर्व में निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझे जाएंगे ।
- नियमित पदस्थापन होने के उपरान्त यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी ।
- प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह0/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी

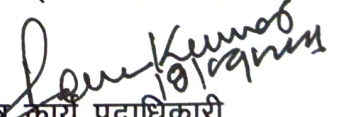
-सह-संयुक्त सचिव

ज्ञापांक: 3/विविध-01-69/2026

839(3)

/स्वा0, पटना, दिनांक : 18/9/26

- प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले0 एवं ह0), वीरचन्द घटेल पथ, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि: सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना/सभी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित चिकित्सक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/मुख्यालय में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित ।
- प्रतिलिपि: विभागीय प्रशाखा-2, 7, 9, 12, 17 एवं 18ए को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- प्रतिलिपि: श्री अमित कुमार, डाटा एनालिस्ट, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- प्रतिलिपि: आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


विशेष कार्य पदाधिकारी
-सह-संयुक्त सचिव